न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00291 (168/2018) 225 आरटीएक्ट

1. गुरमीतसिह } पिसरान गुरमेलसिंह जाति जटसिख साकिन सरावॉवाला
2. इकबालसिह } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. जुगराजसिह उर्फ राजसिंह पुत्र आत्मासिह
2. जीतसिंह पुत्र चन्दसिंह
3. जगदेवसिंह पुत्र दीपा सिंह
4. वकील सिह पुत्र दीपा सिह } जाति जटसिख साकिन सरावॉ वाला
5. हरपाल कौर पुत्री गुरनाम सिह } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. बलविन्द्र सिह पुत्र गुरनाम सिंह
7. दिलबाग सिंह पुत्र गुरनाम सिह
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 25.05.2018 सहायक कलक्टर पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 17/2016 बअनवानी जुगराज बनाम जीतसिह

उपस्थितः–

श्री जसपालसिह दहीया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री गुरमेलसिंह अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–09.05.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर चक 9 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 28/289 मु. नं. 10 के किला नं. 4,5, 6, 7/1, 15, 16, 25 की 1.746 हैक्टर भूमि के लिए अप्रार्थीगण की चक 9 एलजीडब्ल्यू के पं. नं. 28/289 के किला नं. 21 से 24 में दक्षिणी दिशा में प्रत्येक बीघा में 0.013 है. रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा, जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपपक्ष अभिभाषक गण की बहस सुनी गई
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 11/2015 में जीतंसिह पुत्र कश्मीर सिंह के आवेदन पत्र पर पत्थर नं. 28/288 किला नं. 1 ता 5 में से रास्ता स्वीकृत किया है, जो जुगराजसिह की भूमि के किला नं. 4 में से होकर स्वीकृत है। पत्थर नं. 28/288 के किला नं. 4 ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

14, 17, 24 व पत्थर नंबर 28/289 के किला नं. 4, 5, 6, 7, 15, 16, 25 जुगराजसिंह की भूमि है। चूंकि ये सभी किला आपस में जुड़े हुए हैं इस कारण जुगराजसिह की सम्पूर्ण भूमि में आवागमन संभव है। उक्त रास्ता 25–5–2018 को स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा मौजूदा प्रकरण संख्या 17/2016 से जुगराजसिंह द्वारा पत्थर नं. 28/289 के किला नं. 21 ता 24 में रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन निर्णय से गलत रूप से स्वीकृत किया है, क्योंकि जुगराज सिह प. नं. 28/288 के किला नं. 1 ता 5 में से स्वीकृत किये हुए रास्ते से अपनी भूमि में पहूंच सकता था। गुरमीतसिंह ने पत्थर नं. 28/288 के किला नं. 3 की भूमि रास्ते हेतु स्वेच्छा से समर्पण की है। किला न . 1 ता 5 में से स्वीकृत किये रास्ते से सभी काश्तकारों को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जाता है तो अपीलाधीन निर्णय किसी सूरत में पारित नहीं किया जा सकता था। इस लिए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि जुगराजसिंह के प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण संख्या 17/2016 दर्ज किया जाकर जो रास्ता स्वीकृत किया हैं वह उचित है। यह रास्ता गॉव के रास्ते से मिलता है। जुगराज सिंह को प्रकरण संख्या 11/2015 पत्थर नं. 28/288 के किला नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता नही है क्योंकि यह रास्ता स्वीकृत रास्ते से नहीं मिलता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4 ने अपनी बहस में कथन कियाकि मौजूदा प्रकरण संख्या 17/2016 में जो रास्ता स्वीकृत किया है उससे सभी काश्तकार अपनी भूमि में आवागमन कर सकते हैं जबकि जो रास्ता प्रकरण संख्या 11/2015 से किला नं. 1 ता 5 में से स्वीकृत किया है उस रास्ते से दोनों मुरबों के समस्त काश्तकार अपनी भूमि में आवागमन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 में जो आदेश पारित किया है वह उचित है। अपील खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा चक 9 एलजीडब्ल्यू के प. नं. 28/289 के किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत कर किला नं. 21 ता 23 के काश्तकारान को डीएलसी दर से दुगनी राशी रास्ते में आई भूमि के बदले में दिये जाने का आदेश पारित किया है, जिसका मुख्य आधार यह लिया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2018 पेश हुआ है एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट 2018 सरावांवाला में किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नही की गई। पत्रावली पर जो रिपोर्ट 24.04.2018 प्रस्तुत हुई है, उसमें यह स्पष्ट अंकित है कि किला नं. 21 के काश्तकारान ने प्रश्नगत रास्ता के सम्बन्ध में अपनी असहमति जताई है। तत्पश्चात् दिनांक 25.05.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसमें किला नं. 21 के काश्तकारान की आपत्ति का कोई निस्तारण किया जाना नहीं पाया जाता है। अपील में यह तथ्य आये हैं कि जीत सिंह व कश्मीरसिंह द्वारा भी चक 9 एलजीडब्ल्यू के पं. 28/288 किला नं. 1 ता 5 में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.013 है0 रास्ता स्वीकृत हेतु एक अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण संख्या 11/2015 पर दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 25.05.2018 को ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है एवं उक्त रास्ता स्वीकृत होने से समस्त पक्षकारान की भूमि में उक्त रास्ता सुविधा जनक रास्ता है। इस कारण मौजूदा अपील के द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 में स्वीकृत किये गये किला नं. 21 ता 24 के रास्ते को निरस्त की इस्तदुआ चाही है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 में पारित आदेश से स्वीकृत किये रास्ते का मौजूदा प्रकरण में कोई उल्लेख नहीं किया जबकि पत्थर नम्बर 28/288 एवं पत्थर नं. 28/289 में रास्ता स्वीकृत के सम्बन्ध में मुख्य रूप से अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 ने भी विवाद उत्पन्न किया है, जिसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि कुछ काश्तकारान की दोनों रास्तों पर भूमि लगती है। प्रकरण संख्या 11/2015 व प्रकरण संख्या 17/2016 में एक ही दिनांक 25.05.2018 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर विचारण न्यायालय द्वारा प. नं. 28/288 के किला नं. 1 ता 5 में स्वीकृत किये रास्ते जो प्रकरण संख्या 11/2015 शीर्षक जीतसिंह बनाम जुगराज सिह पर बिना विवेचन किये हुए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होना प्रतीत होता है जबकि दोनों प्रकरणों को कंसोलीडेट करते हुए रास्ता संबंधी विवाद का निपटारा किया जाना चाहिए था। इसलिए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य बनती है एवं अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त बनता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 25.05.2018 प्रकरण संख्या 17/2016 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण 17/2016 अनवानी जुगराजसिह बनाम जीतसिह एवं प्रकरण संख्या 11/2015 अनवानी जीतसिंह बनाम जुगराजसिह को कंसोलीडेट करते हुए प्रकरण में रास्ते की आवश्यकता और दोनों रास्तों की औचित्यता को मद्देजनर रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.06.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.5.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/5/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official